न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

श्री .... द्वारा आज दि0 .... को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक .... नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

निगरानी–4601/2018/रीवा/भू.रा.

हरिहर प्रसाद द्विवेदी तनय स्व. श्री रामस्वरूप द्विवेदी, उम्र 51 वर्ष, पेशा नौकरी व खेती, निवासी ग्राम–तमरा, थाना गोविन्दगढ़, तहसील हुजूर, जिला–रीवा (म0प्र0) ——निगरानीकर्ता

बनाम्

श्रीमती निशा द्विवेदी पत्नी शिवेन्द्र द्विवेदी, पेशा घरूकार्य, निवासी ग्राम–तमरा, थाना गोविन्दगढ़, तहसील हुजूर, जिला–रीवा (म0प्र0)

——–गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय नायब तहसीलदार सर्किल गोविन्दगढ़ तहसील हुजूर, जिला–रीवा के राजस्व प्रकरण क्र. 22/अ–12/08–09 में पारित आदेश दिनांक 30.05.2009 जिसके द्वारा सीमांकन की पुष्टि की गयी।

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 ई.

मान्यवर,

प्रकरण का विवरण निम्न प्रकार से है :–

निगरानी प्रकरण की गैरनिगरानीकर्ता निशा द्विवेदी के द्वारा विवादित आराजी खसरा क्रमांक 593/1ख रकवा 0.044 हे. को पंजीकृत विक्रय–पत्र दिनांक 07.08.2008 को मनीबेग सिंह से क्रय किया था, परन्तु मनीबेग सिंह को कभी भी विवादित आराजी खसरा नं. 593/1ख रकवा 0.044 हे. पर कब्जा दखल प्राप्त नहीं हुआ था, क्योंकि मनीबेग सिंह को विक्रय करने वाले विक्रेता रामप्रताप द्विवेदी का भी आराजी

हरिहर प्रसाद

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

1

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-4601/2018/रीवा/भू.रा.

हरिहर प्रसाद विरूद्ध निशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10-06-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार सर्किल गोविन्दगढ़ तहसील हुजूर के प्रकरण क्रमांक 22/अ-12/2008-09 में पारित आदेश दिनांक 30-05-2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. यह प्रकरण दिनांक 20-08-2019 को कलेक्टर जिला रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु रखा जावे । **(महेश चंद्र चौधरी)** **सदस्य**	